



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042026-271808
CG-DL-E-15042026-271808

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1818]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2026/चैत्र 23, 1948

No. 1818]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026

का.आ. 1887(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के पश्चिम चम्पारण जिले में NH139W के कि.मी. 17.200 से कि.मी. 42.045 (पश्चिम चंपारण) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के पश्चिम चम्पारण जिले में NH139W के कि.मी. 17.200 से कि.मी. 42.045 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: बिहार			जिले का नाम: पश्चिम चम्पारण		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: चनपटिया					
गांव का नाम: तुरहापट्टी					
1	4065	निजी	बिकासशील	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
2	4066	निजी	बिकासशील	0.0364 (हेक्टेयर)	0.0364
3	4067	निजी	बिकासशील	0.0121 (हेक्टेयर)	0.0121
4	4068	निजी	बिकासशील	0.0242 (हेक्टेयर)	0.0242
5	4118	निजी	बिकासशील	0.0242 (हेक्टेयर)	0.0242
6	4119	निजी	बिकासशील	0.0343 (हेक्टेयर)	0.0343
7	4120	निजी	बिकासशील	0.0323 (हेक्टेयर)	0.0323
8	4121	निजी	बिकासशील	0.0126 (हेक्टेयर)	0.0126
9	4357	सरकारी	रास्ता	0.3445 (हेक्टेयर)	0.3445
10	4358	सरकारी	रास्ता	0.1564 (हेक्टेयर)	0.1564
11	4359	सरकारी	रास्ता	0.2945 (हेक्टेयर)	0.2945
12	4387	निजी	बिकासशील	0.0216 (हेक्टेयर)	0.0216
13	4388	निजी	बिकासशील	0.0483 (हेक्टेयर)	0.0483
Total					1.0434

[फा. सं. NHAI/PIU/MOTIHARI/BHARATMALA/139W/Areraj-Bettiah/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2026

S.O. 1887(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH139W in the stretch of land from Km. 17.200 to Km. 42.045 (West Champaran) in the district of WEST CHAMPARAN in the state of BIHAR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Land Acquisition Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH139W in the stretch of land from Km. 17.200 to Km. 42.045 (West Champaran) in the district of WEST CHAMPARAN in the state of BIHAR

State: BIHAR			District: WEST CHAMPARAN		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Chanpatia					
Village: Turhapatti					
1	4065	Private	Developing	0.002 (Hectare)	0.002
2	4066	Private	Developing	0.0364 (Hectare)	0.0364
3	4067	Private	Developing	0.0121 (Hectare)	0.0121
4	4068	Private	Developing	0.0242 (Hectare)	0.0242
5	4118	Private	Developing	0.0242 (Hectare)	0.0242
6	4119	Private	Developing	0.0343 (Hectare)	0.0343
7	4120	Private	Developing	0.0323 (Hectare)	0.0323
8	4121	Private	Developing	0.0126 (Hectare)	0.0126
9	4357	Government	Raasta	0.3445 (Hectare)	0.3445
10	4358	Government	Raasta	0.1564 (Hectare)	0.1564
11	4359	Government	Raasta	0.2945 (Hectare)	0.2945
12	4387	Private	Developing	0.0216 (Hectare)	0.0216
13	4388	Private	Developing	0.0483 (Hectare)	0.0483
Total					1.0434

[F. No. NHAI/PIU/MOTIHARI/BHARATMALA/139W/Areraj-Bettiah/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director